

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 16, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. 27141-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को पुरःस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

भगवानदेव इसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१५

### मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१५

**मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम।**

(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है।

**धारा १३ का**

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) की धारा १३ में, उपधारा (२) में, शब्द “दुगुनी” के स्थान पर शब्द “चौगुनी” स्थापित किया जाए।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम १९९१, मध्यप्रदेश राज्य में मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण करने के संबंध में विधि और प्रक्रिया को अधिनियमित करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मोटरयानों पर उपयोग के आधार पर तथा मोटरयान के वर्ग के आधार पर करों की दरें नियत की गई हैं। समय पर कर संदाय न करने की स्थिति में कराधान अधिकारी को मोटरयान के रखे जाने वाले परिसर में प्रवेश करने, मोटरयान का अधिग्रहण करने व उसे निरुद्ध करने की शक्तियाँ अधिनियम में दी गई हैं। नियत समय पर कर संदाय करने में असफल रहने के लिये शास्ति का भी प्रावधान है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश या किसी अन्य प्रदेश के परिवहन प्राधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त मोटरयान यदि अनुज्ञा पत्र में दिए गए प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में आता है या बिना अनुज्ञा पत्र के चलता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे यान के स्वामी पर मासिक शास्ति आरोपित की जाती है। यह शास्ति ऐसे यान के लिये निर्धारित मासिक, तिमाही या वार्षिक कर की रकम की दोगुनी होती है।

२. शास्ति की रकम कम होने के कारण बिना अनुज्ञा पत्र के या अनुज्ञा पत्र में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये मोटरयान चलाए जाने को प्रभावी रूप से हतोत्साहित नहीं किया जा पा रहा है। इसलिए प्रस्तुत विधेयक मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम १९९१ की धारा १३ (२) को संशोधित करके अनुज्ञा पत्र के विरुद्ध या बिना अनुज्ञा पत्र के चलाए जाने वाले वाहन पर आरोपित की जाने वाली मासिक शास्ति मासिक, तिमाही या वार्षिक कर की रकम के चार गुना के बराबर की जा रही है। इससे प्रदेश में अवैध परिवहन पर रोक लगेगी।

३. अतः यह प्रस्तावित है कि राज्य विधान मंडल में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम १९९१ में संशोधन हेतु मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम २०१५ लाया जाए ताकि प्रदेश में अवैध परिवहन पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

**भोपाल :**

तारीख ४ दिसम्बर, २०१५

भूपेन्द्र सिंह  
भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधानसभा।